कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश सं0 280 /2020

श्री राकेश कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा आज दिनांक 07–09–2020 को कोरोना एन्टीजेन टेस्ट कराया गया जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आयी है। श्री राकेश कुमार यादव आज न्यायालय में उपस्थित थे और टेस्ट कराने न्यायालय से ही गये थे।

उपरोक्त पत्र पर कोविड–19 प्रिवेन्शन समिति जनपद न्यायालय सुलतानपुर से आख्या तलब की गयी जिस पर उन्होने श्री राकेश कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कोरोना पॉज़िटिव होना बताया है। प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन जनपद न्यायालय सुलतानपुर द्वारा भी श्री राकेश कुमार यादव के कोरोना पॉजिटव होने का कथन किया है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि श्री राकेश कुमार यादव आज न्यायालय में उपस्थित थे।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, Dated : 03.06.2020 के बिन्दु सं0 15 में निर्देशित किया गया है कि "Whenever the District Administration/C.M.O. concerned is of the opinion that the District/Outlying Court campus should be closed for a particular period and/or the District Judge is of the opinion that the District Court/Outlying Court should be closed for particular period, then the District Court/Outlying Court may be closed for the said period and an intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court."

मुख्य सचित, उ0प्र0 शासन, गृह गोपन अनुभाग–3 लखनऊ के पत्र सं0 1431/2020/सीएक्स–3 दिनांक 06.06.2020 में दिये गये दिशा निर्देश के भाग–ख जो कार्यालय से सम्बन्धित दिशा निर्देश हैं, के बिन्दु सं0 05 के अनुसार कोविड 19 का केस पाये जाने पर कार्यालय को सैनिटाइज़ेशन हेतु 48 घण्टे तक बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

समिति की राय में कोविड महामारी से बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सर्कुलर व शासनादेश के अनुपालन में दीवानी न्यायालय परिसर को 48 घण्टे (दिनांक 08–09–2020 व 09–09–2020) के लिये बन्द कर साफ–सफाई व सैनिटाइज़ेशन कराया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, Dated : 03.06.2020 व उपरोक्त शासनादेश के परिपेक्ष्य में जिला न्यायालय परिसर सुलतानपुर को 48 घण्टे बन्द करके साफ–सफाई व सम्पूर्ण सैनिटाइज़ेशन कराया जाना अवश्यक है।

अतः न्यायालय परिसर 48 घण्टे (दिनांक 08.09.2020 व 09.09.2020) के लिये साफ–सफाई व सैनिटाइज़ेशन हेतु बन्द की जाती है। उपरोक्त अवधि में न्यायालय परिसर को सैनिटाइज़ करा कर कोविड समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 07.09.2020 से 5 दिन पूर्व से जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाये गये अधिकारी के सम्पर्क में आये हों वह सवयं को होम क्वारण्टाइन कर सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें जिससे उनके नाम, पता व मोबाइल नम्बर से चिकित्साधिकारी को अवगत कराया जा सके।

जिलाधिकारी सुलतानपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर व अधिशाषी अधिकारी सुलतानपुर सम्पूर्ण न्यायालय परिसर (न्यायालय भवन व अधिवक्ता चैम्बर आदि) का सम्पूर्ण सैनिटाइज़ेशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी कम्प्यूटर व सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad; Dated : 28.07.2020 के अनुपालन में वीडियो कान्फ्रेन्सिग के द्वारा सुनवाई से सम्बनिधत दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु कार्यवाही अमल में लाते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

रिमाण्ड कार्य अवकाश के दिनों की भॉति सम्पन्न होंगे, जिसके सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सूचना माननीय उच्च न्यायालय व माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति को प्रेषित की जाये तथा सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

07.9.20

जिला न्यायाधीश
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुलतानपुर।
2. जिलाधिकारी सुलतानपुर।
3. जिलाधिकारी अमेठी।
4. पुलिस अधीक्षक, सुलातानपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, अमेठी
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर।
7. अधीक्षक जिला कारागार, सुलतानपुर।
8. बार एसोसिएशन, सुलतानपुर।
9. बार एसोसिएशन, कादीपुर।
10. बार एसोसिएशन, मुसाफिरखाना।
11. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
12. सिस्टम आफिसर को जिला न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

07.9.20

जिला न्यायाधीश
सुलतानपुर।